दि 9-6-2020

अधिवक्ता उपस्थित
राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना
वायरस संक्रमण के मद्देनजर संबंधी सरकारी
पत्रावली इलतवा होकर दिनांक आगे की व्यवस्था है
24.7.2020 को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर, मिर्जापुर
रा. वाद अधीन 53 ख
मदनसिंह बनाम नरपतसिंह
प्र.क्र. 1/18

दि. 24.7.2020

यह पत्रावली कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू बोर्ड अमेर के आदेशानुसार मध्यपेश हुई। वकील उभय पक्षकार उप०/वकील प्रतिवादीगण स्वास्थ्यवश पेश नहीं हो सकते हेतु समय चाहने से व्यवहित में सर्वथा अक्षम (दिव्य) प्रतीत है। पत्रावली स्वास्थ्य हेतु दि 27.7.2020 को पेश हो।

दिनांक 27.7.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी हाजिर है। वकील वादीगण चाहते मुतबाई हाजिर नहीं है। केस पर वकील वादीगण को हाजिर होने हेतु बार-बार आवाजें लगवाने के बावजूद हाजिर नहीं हुये। वादी स्वयं कपनसिंह हाजिर है। दिनांक पत्रावली पर लिखकर लगाया कि यह है कि मैं केस को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ। अतः वादी का यह वादी स्वयं आगे नहीं चलाने के कारण चलने योग्य नहीं होने तथा खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। दोनों पक्षकारों ईजलास मुताबिक पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खत्म हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:42 IST
Reason: SelfAttested